अधिष्ठान व्यय हेतु आवंटन 13 अंकों का कोड–2225030010300

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
/ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
जनपद–सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, फर्रूखाबाद, इटावा, फतेहपुर, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, बहराईच, बाराबंकी, ललितपुर, गाजियाबाद, सिद्वार्थनगर, फिरोजाबाद, सोनभद्र, महराजगंज, अम्बेडकर नगर, गौतमबुद्व नगर, चन्दौली, हाथरस, संतकबीर नगर, औरैया, बागपत, कन्नौज, अमरोहा, चित्रकूट, कासगंज, अमेठी, हापुड़, शामली एवं सम्भल (55 जनपद)।

पत्रांक/004डीबीए/1669/पि0व0क0/अधि0आवं0/2016–17 लखनऊःदिनांकः 04 जनवरी,2017

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या 79 के अधीन लेखाशीर्षक, 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनेत्तर–03–पिछड़े वर्गो का कल्याण–001–निदेशन तथा प्रशासन–03– मुख्यालय / मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान मद में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में अधिष्ठान मद में शासन के आदेश संख्या 6/2016/188/64–2–2016–1(01)/2016 दिनांक 20 अप्रैल, 2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से संलग्न विवरण के अनुसार रू0 28,15,000.00 (रूपया अठठाइस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि जनपदीय कार्यालयों को निम्नलिखित शर्तो एवम् प्रतिबन्धों के अधीन आबंटित की जाती हैः–

1– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवम् व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 01/2016 / बी–1–746/ दस–2016–231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दी गयी शर्तों/दिशा निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–79 के लेखाशीर्षक '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनेत्तर–03–पिछड़े वर्गो का कल्याण– 001– निदेशन तथा प्रशासन–03– मुख्यालय/ मण्डलीय/जिला कार्यालय' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3– आबंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

4– आबंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त–पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।

5– समय–समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पालन विशेष रूप से किया जाय। यह उल्लेखनीय है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय एवं मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मदों के अन्तर्गत व्यय करते समय मितव्ययिता किये जाने के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों

में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुए वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या : 2163/10सचि0/(1)/91, दिनांक 10–12–1991 में उल्लिखित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये। कृपया इन मदों में बचत एवं उपभोग की सूचना यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, बी0एम0–8 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। इस विवरण में कोषागार बाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

7– आहरण वितरण अधिकारी को अगली बार बजट तभी आवंटित किया जायेगा जब उपर्युक्तानुसार बी0एम0–8 में सूचना प्राप्त हो जायेगी।

8– आबंटित धनराशि का व्यय आपके कार्यालय में स्वीकृत कर्मियों की संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।

9– यदि बी0एम0–8 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई घटना होने पर संबंधित आहरण–वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

10– यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

11– एक बार धनराशि समर्पित कर दिये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जा सकेगा। समर्पण के बाद बिना अनुमति के यदि कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है, तो इसके लिए आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

12– कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखाजोखा रखना अनिवार्य होगा।

13– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही सम्पूर्ण, मुख्य, उप–मुख्य, लघु एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में अंकन में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से 'आयोजनेत्तर' शब्द अवश्य अंकित किया जाय, जिसके लिए रबड़ की मोहर अधिक श्रेयस्कर होगी।

14– बजट की किसी ऐसी प्राथमिक इकाई या लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाय, जिसके लिए बजट में प्राविधान नहीं है।

15– व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथियों तक इस कार्यालय को निशिचित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

1– मासिक व्यय विवरण आगामी माह की दस तारीख तक।
2– वर्ष 2016–17 में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव दिनांक 15.01.2017 तक।
3– वर्ष 2016–17 में समर्पण यदि कोई हो, की सूचना दिनांक 15.02.2017 तक।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 02 पर अंकित है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

(अजय दीप सिंह)
निदेशक

पृ0सं0: 004डीबीए/1668/पि0व0क0/अधि0आवं0/2016–17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0–2
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-04/01/2017

प्रेषण संख्या:-

आवंटन आदेश संख्या:- 004-DBA

अनुदान संख्या:- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े(आयोजनेत्तर-मतदेय)
03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
001 - निदेशन तथा प्रशासन
03 - मुख्यालय/मंडलीय/जिला कार्यालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	09-विद्युत देय	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	योग
1	सहारनपुर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 140000	30000 30000	0 0	30000 170000
2	मुज़फ्फर नगर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000 180000	20000 20000	0 0	60000 200000
3	मेरठ-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000 180000	20000 20000	0 0	60000 200000
4	बुलन्दशहर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 140000	20000 20000	0 0	20000 160000
5	अलीगढ-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 140000	10000 10000	0 0	10000 150000
6	मथुरा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000 180000	10000 10000	0 0	50000 190000
7	आगरा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000 180000	0 0	100000 100000	140000 280000
8	मैनपुरी-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000 180000	5000 5000	0 0	45000 185000
9	एटा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000 180000	0 0	25000 25000	65000 205000
10	बरेली-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 140000	10000 10000	0 0	10000 150000
11	मुरादाबाद-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 140000	5000 5000	0 0	5000 145000
12	शाहजहांपुर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000 180000	0 0	0 0	40000 180000
13	पीलीभीत-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000 180000	5000 5000	0 0	45000 185000
14	रामपुर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000 180000	15000 15000	0 0	55000 195000
15	फर्रुखाबाद-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000 180000	40000 40000	0 0	80000 220000